न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-52/2004

1-महावीरसिंह
2- सुमेरसिंह
3- रामसिंह
4- अमरसिंह
पुत्रगण मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

5-मृतक बहादुरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

5/1- बजरंगसिंह
5/2- हनुमानसिंह
पुत्रगण स्व0 बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

5/3- बबीता कंवर पुत्री स्व0 बहादुरसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनू ।

6- उम्मेदकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- भंवरसिंह पुत्र गाडसिंह
2- किरणकंवर बेवा रणजीतसिंह
जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

3- मंजू
4- बिमला
5- संजू
पुत्रीया रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

6- शक्तिसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

7- मदनसिंह पुत्र गाडसिंह
8- इन्द्रसिंह पुत्र गाडसिंह
9- भवरी पत्नी जगमालसिंह पुत्री गाडसिंह
10-प्रेमकंवर पुत्री गाडसिंह
जाति राजपूत निवासी 00 मलसीसर

11-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 22-1-2004 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, झुन्झुनू ।
----0----

उपस्थिति-

1-श्री इन्द्रजीत शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री मनोजशर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 27.11.2017

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी (रेस्पोडेन्ट के पूर्वज) ने अदालत मातहत में दावा बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादी सगे भाई है । वादी एवं प्रतिवादी के एक भाई नाथुसिंह ओर था जिसकी मृत्यु बिना शादी के ही हो गई थी ।प्रार्थी के पिता के एक खेत खसरा नं0 89 रकबा 51बीघा 5 बिस्वा ग्राम मनस्यपुरा पैत्रिक भूमि थी । जिसकों वादी एवं प्रतिवादी के पिता काश्त करते थे ।वादीएवं प्रतिवादी के पिता का देहान्त हो गया । इस आराजी का बंटवारा कभी नहीं हुआ । यह खेत शामलाती ही है ।किन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी की सम्वत 2017 मे खसरा गिरदावरी अपने नाम दर्ज करवानी शुरू कर दी। इसका पता प्रार्थी/वादी को नहीं लगा ।जब इस बात का पता चला और इस आराजी का रेकार्ड दुरूस्त कराने के लिये कहा तो पहले तो हां भर ली किन्तु बाद में मना कर दिया । जिस पर यह दावा किया कि दावा स्वीकार कर उक्त भूमि को इस प्रकार बांटा जावे कि प्रत्येक का खेत 1/3 मिल जावे तथा इसी प्रकार लगान कायम किया जावे । अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में प्रकरण प्रतिवादीगण की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकाम की कार्यवाही में चल रहा था, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस कारण प्रकरण इस प्रार्थना पत्र की बहस मे चलता रहा। इसी दौरान दावा वादीगण हाजिर नही होने पर दिनांक 28-2-2002 को अदम हाजरी में खारिज हो गया । जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिये वादीगण ने दिनांक 30-3-2002 को दावे को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको दिनांक 14-10-2003 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय होकर दावा पुनः नम्बर पर लिया गया । तथा दावा को बहस मे लगा दिया और प्रार्थना पत्र ही बहस सुनी गई। जिस पर प्रार्थना पत्र आदेश-13 नियम-2 सी सीपीसी की दरखवास्त स्वीकार कर दावा भी डिक्री कर दिया जो नियम विरूद्ध है ।अदालत मातहत में आदेश-13 नियम-2 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है तो फिर शहादत का मौका देकर वसीयत पर प्रदर्श डालने की इजाजत देनी चाहिये थी। किन्तु अदालत मातहत ने इस प्रक्रिया की पालना न कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अन्तिम बहस सुने बिना ही आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की है किन्तु किसी भी तनकी का निर्णय पारित नहीं किया ।योग्य अदालत मातहत ने विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार मानने में कानूनी भूल की है ।जबकि वादीगण ने अपना हिस्सा 1/3 माना है । इसके बावजूद अदालत मातहत ने वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने मे कानूनी भूल की है । दावा विभाजन का था । इसमें प्राथमिक डिक्री बनाई जानी चाहिये थी। इस के बाद विभाजन प्रस्ताव आने पर उभयपक्षों को सुनकर अन्तिम डिक्री बनाई जानी चाहिये थी ।किन्तु अदालत मातहत ने सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने प्रतिदावे पर कोई निर्णय पारित नहीं किया । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

8 बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल खसरा गिरदावरी सम्वत सन् 1951 में विवादित आराजी छतुसिंह पि0 सादूलसिंह के नाम दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0 2009 से 2012, 2013 से 2016 में खातेदारी छतूसिंह पि0 सार्दूलसिंह के नाम दर्ज है। सम्वत 2015 में 2 बीघा की काश्त लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2016 से 2019 में खातेदारी छतूसिंह के नाम तथा सम्वत 2017, 2018 व 2019 में काश्त खुदकाश्त नारायणसिंह मोहनसिंह पि0 छतुसिंह के नाम दर्ज है । नामान्तरकरण दिनांक 6-7-63 को छतूसिंह के फौत होने पर विरासत के आधार पर गाडसिंह, नारायणसिंह, मोहनसिंह पि0 छतूसिंह के नाम तस्दीक किया गया है ।खसरा गिरदावरी सं0-2024 मे विवादित आराजी गाडसिंह, नारायण सिंह, मोहनसिंह पि0 छतूसिंह के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-6 जमाबन्दी मे भी आराजी गाडसिंह नारायणसिंह, मोहनसिंह पि0 छतूसिंह के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-7 नकल जमाबन्दी सं0-2009 से 2012 में खातेदारी छतुसिंह के नाम तथा काश्त नाराय-णसिंह, मोहनसिंह के नाम दर्ज है । अदालत हाजा के आदेश दिनांक 6-6-1974 के द्वारा अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 13-12-1972 को खारिज कर दिनांक 6-6-1974 के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है ।प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज छतूसिंह की खातेदारी में दर्ज है तथा छतूसिंह के फौत होने पर छतूसिंह के पुत्र गाडसिंह, नारायणसिंह एवं मोहनसिंह के नाम दर्ज हुई। नारायणसिंह अविवाहित फौत हुआ है । इसका कोई विवाद नहीं है । उक्त आराजी में नारायणसिंह ने अपना हिस्सा मोहनसिंह के लडको को वसीयत किया है । जिसके लिये अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक मानते हुये नारायणसिंह का हिस्सा उसके दोनों भाईयों मे मोहनसिंह एवं गाडसिंह में समायोजित कर आराजी को 1/2 हिस्सा वादीगण एवं 1/2 हिस्सा

प्रतिवादीगण को दिया है । अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक मानकर जो निर्णय दिया है वह दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है ।अदालत मातहत ने विवादित आराजी में 1/2 पूर्व साईड का गाडसिंह के वारिसान को तथा 1/2 हिस्सा पश्चमी साईड का प्रतिवादी सं0-1 को दिये जाने के आदेश दिये है । जिसमें तहसीलदार को रेकार्ड मे विभाजन कर अंकित करने के आदेश दिये है । इस आदेश में हम इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-01-2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर